

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 01/2026 – केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल, 2026

सा.का.नि... (अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए, जो केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (1) के खण्ड (i) के साथ पठित, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की 39 की उप-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध हैं, मार्च, 2026 माह के लिए प्ररूप GSTR-3B में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर अप्रैल, 2026 का इक्कीसवाँ दिन करता है।

2. यह अधिसूचना 20 अप्रैल, 2026 के दिन से प्रभावी होगी।

[फा. सं. CBIC-20006/45/2025-GST]

(कंगाले शृंखला मोतीराम)

निदेशक